वित्तीय स्वीकृति

संख्या-1/1933 /52-3-13-बजट(16)/13

प्रेषक,

जय प्रकाश पाण्डेय,

उप सचिव

उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण,

□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 29 नवम्बर 2013

विषयः-केन्द्र पुरोनिधानित मदरस /मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत परम्परागत धार्मिक, शिक्षा प्रदान कर रही संस्थाओं में आधुनिक विषयों में शिक्षण की व्यवस्था करने हेतु मानदेय पर कार्यरत शिक्षकों के मानदेय के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक मा0□□0वि0 मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत □□□□, नई दिल्ली के पत्र संख्या-□□-8-41/2012-□□-19, दिनांक 12-8-2013, पत्र संख्या-□□-8-50/2012-□□-19 दिनांक 17-9-2013, भारत सरकार के पत्र दिनांक 24-9-2013 (रू0 39.19), दिनांक 24-9-2013 (रू0 332.55) तथा पत्र दिनांक 24-9-2013 (रू0 290.52) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त पत्रांक के माध्यम से 1891, 1446 □□□ 804 मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के वर्ष 2012-13 □□□ 27 228, 201 मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के वर्ष 2013-14 के□□□□□□□ □□ भुगतान हेतु द्वितीय किश्त के रूप में कुल रू0 4617.38 लाख की धनराशि अनुमोदित □□□□□□□1891 मदरसों हेतु अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष रू0 1777.66 लाख की □□□□□ पूर्व वर्ष की बचतों से समायोजित करने के उपरान्त निम्न प्रकार कुल रू0 2839.72 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। (उपरोक्त पत्रों की प्रति संलग्न)

http://shasanadesh.up.nic.in

2- चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में उक्त योजनान्तर्गत रू0 2,00,00,00,000/- (रूपये दो अरब मा) □□ □□-व्ययक प्राविधान है। इसके जिसके सापेक्ष अभी रू0 24,66,56,000/-की धनराशि अवमुक्त की गयी है तथा रू0 1,75,33,44,000/- की □□□□□ □□□□ □□

3- □□□ □□□□ द्वारा अवमुक्त धनराशि को दृष्टिगत रखते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत उक्त प्रयोजनार्थ राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 02,00,00,00,000/- (रूपये दो अरब मा) के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से रू0 28,39,72,000/- (रू0 अठ्ठाइस करोड़ उन्तालिस लाख बहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धो के आधीन स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैः-

(I) राज्य सरकार द्वारा अनुदानित या वेतन /मानदेय दिये जाने वाले मदरसा शिक्षकों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 31-3-2013 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, ताकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से □□□□□/वेतन मद में दोहरा भुगतान न होने पाये एवं पारदर्शिता बनी रहे।

(ii)- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये किया जायेगा ।

(III)- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि मदरसों के अस्तित्व के संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त होने एवं आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन) के शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के अध्यापन की पुष्टि होने के पश्चात ही धनराशि भुगतान की जायेगी। यह भी पुनः देख लिया जायेगा कि लाभान्वित मदरसा भारत सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तगत निर्गत गाइड लाइन की समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों को पूर्ण करता है। यदि किसी मदरसें में अनियमित भुगतान किया जाता है, तो इसके लिये संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी /आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पूर्णतयः उत्तरदायी होंगे तथा अनियमित रूप से भुगतान की गयी धनराशि की □□□ □□□□□□□ उनसे सुनिश्चित की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(IV)- निदेशक एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे स्वीकृत धनराशि का दिशा-निर्देशो के अनुसार सदुपयोग सुनिश्चित करेगें। किसी भी दशा में अस्तित्वहीन मदरसे तथा अस्तित्वहीन शिक्षक को धनराशि वितरित न हो, वितरण तभी सुनिश्चित किया जायेगा जो वास्तव में उपस्थित रह कर मदरसों में शिक्षण कार्य सुनिश्चित कराया गया हों। वितरण पारदर्शी तरीके से होगा तथा व्यय का पूर्ण लेखा-जोखा व अभिलेख सुरक्षित रखने का दायित्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत योजना की धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा, □□ धनराशि व्यय नही हो सकती उसकी जानकारी विवरण सहित शासन को उपलब्ध □□□□ □□□□□

(V)- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केवल योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के मानदेय का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में यह धनराशि किसी अन्य प्रयोजनार्थ व्यय नहीं की जायेगी।

(VI)- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 31-12-2013 □□ □□□□ □□ उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 □□ □□-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण (के-100/रा0-□□)-20-□□□□□ □□□□-सामान्य(□□ □□□) □□□□□□□□ □□□□□

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय स 0-□--11-1457/□□/2013, दिनांक 27 नवम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

(जय प्रकाश पाण्डेय)

□□ □□□□

संख्या-1933(1)/52-3-13 तददिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-संयुक्त निदेशक(□□0□□0) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) □□□□ □□□□□, शास्त्री भवन नयी दिल्ली।

2-□□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

3-□□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□□

4-वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय, □□□□□□□□ (□□□-प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन थार्न हिल रोड, इलाहबा□□

5-कोषाधिकारी, उ□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□, □0प्र0 □□□□□

6-□□□□, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 □□□□

7-निदेशक उर्दू/प्राच्य भाषायें/बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 □□□□

8-जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 □□□□□

9-रजिस्ट्रार, □0प्र0 □□□□□ □क्षा परिषद, 704, □□□□ □□□, □□□□□

10-□□□□ □□□□, □□0 राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, उ0प्र0□

11-वित्त (ई-11) □□□□□/वित्त (अ□-व्ययक) □□□□□-1(02प्रतियों में)/नि□□□□ □□□□□-3 □□□□□ □□□□□/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)

□□ □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in